(iii) Need to amend the Disability Act, 1995 to ensure effective implementation of the schemes meant for welfare of the physically challenged persons

*** श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** महोदय, हमारे देश की 5-6 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम है। केन्द्र सरकार द्वारा उनके कल्याण एवं प्रगति के लिए अशक्त अधिनियम 1995 बनाया गया है। अशक्त लोगों को राहत देने के लिए यह अपने आप में एक अच्छा कदम है। लेकिन इस अधिनियम को बने कई वर्ा व्यतीत हो चुके हैं, परन्तु इसको अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। इसलिए समय की मांग को देखते हुए असक्षम लोगों के लिए सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है एवं साथ ही साथ इस अधिनियम में परिवर्तन करके उसमें कुछ साकारात्मक गतिविधियों से संबंधित नीतियां भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, आंकड़ों के अनुसार भारत में 3 प्रतिशत सरकारी नौकरियां शारीरिक रूप से अशक्त लोगों हेतु आरक्षित हैं। लेकिन लगभग 70 मिलियन लोगों में से मात्र एक लाख लोग ही अब तक सरकारी नौकरी पाने में समर्थ हुए हैं। हमारे देश में 75 प्रतिशत असक्षम लोग पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं लेकिन इनमें से 49 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं तथा प्राथमिक आवयकताओं के अनुसार भारत के ज्यादातर सार्वजनिक स्थान असक्षम व्यक्तियों के लिए सहयोगी नहीं है एवं अब तक ऐसी कोई समिति भी नहीं बनायी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे संबंधित प्राधिकरण इस कानून की नीतियों को पूरी तरह लागू कर सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह एक समिति बनाकर असक्षम व्यक्तियों के और अधिक कल्याण हेतु एवं इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके इसे और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु समुचित कदम उठाये।

---

* Treated as laid on the Table.